यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-5, वा णज्य कर, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-5, वा णज्य कर, हरिद्वार के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नि खल गोस्वामी, व.ले.प. एवं श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम.त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 23.01.2018 से 30.01.2018 तक श्री एन. के. सन्हा व0 लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा (ईकाई की प्रथम लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक - से - तक तक श्री ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ..... से ..... तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह ..... से ..... तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः लक्सर तहसील का समस्त क्षेत्र एवं सडकुल सेक्टर-4, हरिद्वार।

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	-
2015-16	381.09
2016-17	810.10

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....बी.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल- ज्वाइन्ट- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-5, वा णज्य कर, हरिद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-5, वा णज्य कर, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्यय: -

राजस्व: -

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2(अ)

प्रस्तर सं0 01:– अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 8.02 लाख

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनिधिम 1956 की धारा 10 (घ) में यह उल्लेख किया गया है कि घारा 8 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए माल का क्रय करने के पश्चात उचित कारण के बिना ऐसे किसी प्रयोजन के लिए उस माल का उपयोग नहीं करेगा। पुनः धारा– 10(क)(1) में यह उल्लेख किया गया है कि यदि माल का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति घारा–10 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन किसी अपराध दोषी हो तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियिम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यथस्थिति उसे अनुद्रत किया था या उसे अनुद्रत करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उसे देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा ,जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो ,जो उस माल पर उसको किये गये विक्रय की बाबत धारा–8 की उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उदग्रहित किया जाता ,यदि विक्रय उस उपधारा के अन्तर्गत आने वाले विक्रय होता ।

कार्यालय असिस्टेट कमिश्नर (क0नि0), खण्ड–5 वाणिज्य कर ,हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीखा जॉच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री गुरूकृपा जनरल आर्डर सप्लायर क0नि0 वर्ष 2013–14 में फार्म –सी के विरूद्व रियायति दर से ₹ 39,59,007/- के copper wire, plastic bobbin आदि का आयतित खरीद किया गया था। जवकि व्यापारी के गोपनीय पत्रावली के जॉच में पाया गया कि उपरोक्त वस्तु (copper wire , plastic bobbin) की खरीद के लये व्यापारी संगत वर्ष में पंजीकृत नहीं था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा अनाधिकृत रूप से form C के वरूद्ध रियायती दर से खरीद किये copper wire plastic bobbin ₹ 3959007.00 पर केन्द्रीय बिक्री अधिनियिम 1956 के द्वारा –10 अ से सपठित 10 'घ' के प्रावधानों के अनुसार (₹ 3959007 पर 13.5 प्रतिशत से ₹ 534465) कर का डेढ गुना अर्थात ₹ 801697.5 का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा ट्रॉसफार्मर बनाने एवं बेचने हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय को दिया गया था लेकिन गोपनीय पत्रावली पर उपरोक्त वस्तु का उल्लेख न होने के कारण आपत्ति प्रकाश में आयी है। इस संबंध में पूर्व खण्ड से जानकारी प्राप्त कर स्थिति स्पष्ट कर दी जायेगी ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के सापेक्ष, विभाग द्वारा वस्तु बढाये जाने से सम्बन्धित स्वीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं0 01:– ब्याज के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 2802.11

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनिधिम ,2005 की धारा 34 (4) के अन्तर्गत देय स्वीकृत कर पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयता का प्रावधान है।

कार्यालय असिस्टेट कमिश्नर (क0नि0), खण्ड–5 वाणिज्य कर ,हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीखा जॉच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री हिमानी बीड़ी स्टोर लक्सर हरिद्वार (टिन नम्बर 05002073691) द्वारा संगत वर्ष 2013–14 में कुल बिक्री ₹ 1286245.00 की थी जिस पर ₹ 123132/- का कर आरोपित किया था। विभाग द्वारा ₹ 5377/ की मांग निकाली गयी जिसको व्यापारी द्वारा जमा करने की तिथि तक ब्याज सहित जमा करना था। व्यापारी द्वारा उक्त ब्याज ₹ 2802.11 जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभागीय उत्तर में कार्यवाही उपरान्त अवगत कराने का आश्वासन दिया गया ।

उक्त प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं0 02:– आई0टी0सी0 रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति :– ₹ 7455/

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधिन रहते हुए जैसे की इस धारा में विर्निदिष्ट है, किये गये क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाय।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–खण्ड–5, वाणिज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री गोयल ट्रेडिंग कम्पनी ने प्रान्तीय खरीद पर कुल आई0टी0सी0 ₹ 299818/– का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था। पत्रावली में संलग्न क्रय सूची में सर्वश्री वैष्णव ट्रेडिंग कम्पनी का टिन नं0 अंकित नहीं था जिस पर ₹ 7455/– का आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 7455/– का लिया गया आई0टी0सी0 रिवर्स योग्य था जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2(ख)

प्रस्तर सं0 01:– अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.20 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनिधिम ,2005 की धारा 58(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार कोई ब्यौहारी अपना स्वीकृत कर बिना किसी युक्ति युक्त कारण के विलम्ब से जमा करता है तो स्वीकृत कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड **आरोपणीय** होगा ।

कार्यालय असिस्टेट कमिश्नर (क0नि0), खण्ड–5 वाणिज्य कर ,हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीखा जॉच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एल0एल0इलैक्ट्रीकल्स क0नि0 वर्ष 2013–14 में माह नवम्बर 2013 का स्वीकृत कर **₹** 200000.00 बिना किसी युक्ति युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धिति कर अधिनियिम 2005 की घारा 58(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से **₹** 20,000/ का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभागीय उत्तर में कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया **गया** ।

उक्त प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-5, वा णज्य कर हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री कार्तिकेय वर्मा	अ सस्टेंट क म.
(ii)	श्री अवनीश कुमार	अ सस्टेंट क म.

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-5, वा णज्य कर हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र